राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी—श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या— 04 / 2023
जी0सी0एम0एस0 संख्या— 2023 / 17
दायर दिनांक— 27.03.2023
निर्णय दिनांक— 04.01.2024

उनवानी

1. बोदूराम पुत्र लिखमा जाति जाट निवासी ग्राम शिवनगर, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर
—प्रार्थी

बनाम

1. गोपाल पुत्र सांवता
2. ज्ञाना देवी पत्नि सांवता
3. प्रभाती पुत्री सांवता
4. राजू पुत्र सांवता
5. लाली देवी पुत्री सांवता
6. सुरज्ञान देवी पुत्री सांवता
सर्वजाति जाट, सर्वनिवासी ग्राम शिवनगर , तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
—अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति—:1. श्री विमलकिशोर तिवाड़ी अधि0 प्रार्थी
2 श्री शांतिलाल ढ़ेल अधि0 अप्रार्थी संख्या 1 से 6
3. पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़

—:निर्णयः—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के स्वत्व अधिकार, कब्जे, काश्त एवं एकल खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम शिवनगर, पटवार हल्का सिनोदिया, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कोटड़ी के ख0न0 570 रकबा 3.2360 है0 भूमि अवस्थित है। उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम एकल खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी की आराजी ख0न0 570 के पूर्व दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि ख0न0 569 रकबा 0.6876 है0 स्थित है तथा उसके आगे ख0न0 568 रकवा 1.2944 है0 सरकारी भूमि स्थित है व उसके आगे रास्ता ख0न0 564 रकबा 0.4611 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 7 की सरकारी भूमि में से होकर ही प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में पहुंच हेतु सरलतम, लघुत्तम व निकटतम रास्ता उपलब्ध है जो अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की खातेदारी की भूमि ख0न0 569 में से होकर अप्रार्थी संख्या 7 की सरकारी भूमि ख0न0 568 में से होते हुए आगे जाकर उसके लगता हुआ रिकार्डेड रास्ता ख0न0 564 गै0मु0रास्ता को जोड़ता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की खातेदारी की भूमि ख0न0 569 [illegible] भूमि ख0न0 568 में काफी वर्षो पूर्व से ही रास्ता बना हुआ है जिस पर मौके [illegible] है एवं रास्ते के रूप में उपयोग, उपभोग की जा रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.01.11 13:24:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

04/01/24

प्रार्थी की कृषि भूमि ख0न0 570 के पूर्व दिशा में लगती हुई अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की खातेदारी की भूमि ख0न0 569 में से होकर एवं उसके आगे अप्रार्थी संख्या 7 की सरकारी भूमि ख0न0 568 है व उसके आगे रिकार्डेड रास्ता ख0न0 564 गै0मु0रास्ता है। प्रार्थी अपनी उक्त खातेदारी की भूमि ख0न0 570 की पहुंच हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की खातेदारी की भूमि ख0न0 569 की उत्तरी सींव मेड़ से होकर उसके आगे सरकारी भूमि ख0न0 568 के उत्तरी सींव के सहारे–सहारे 18 फीट चौड़ा रास्ता मुख्य रिकार्डेड रास्ता तक चाहता है। मुख्य रास्ता की नक्शा ट्रेस में तरमीम हो रखी है तथा मौके पर रास्ते के रूप में उपयोग–उपयोग में चला आ रहा है। अप्रार्थीगण की उक्त भूमि के उत्तरी सींव से लगता हुआ रास्ता प्राप्त होने पर प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि में रास्ते से होकर सरकारी जमीन से होते हुए अपने खेत तक आ जा सकता है जो सुगम, सुलभ व लघुत्तम रास्ता है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0न0 570 में अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की खातेदारी की भूमि ख0न0 569 में से होकर आगे सरकारी भूमि ख0न0 568 में से प्राप्त करने वाले रास्ते को इस प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित किया गया है। नजरी नक्शा इस प्रार्थना–पत्र का एक अंग व भाग माना जाकर इसके साथ पढ़ा जावें।

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थी संख्या 4 व 7 के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुए। अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की ओर से जवाब पेश नही किया गया। अतः प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 से 6 का जवाब बंद किये जाने के आदेश दिये गये। प्रकरण में पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ (अप्रार्थी संख्या 7) की ओर से जवाब पेश किया गया। प्राप्त जवाव अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम शिवनगर के ख0न0 570 में आवागमन हेतु ग्राम शिवनगर के ख0न0 564 किस्म गै0मु0रास्ता (सिवायचक) भूमि में से होते हुए ख0न0 568 किस्म बारानी 2 (सिवायचक सरकारी भूमि) के उत्तरी सींव के सहारे–सहारे अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की खातेदारी भूमि ग्राम शिवनगर के ख0न0 569 किस्म बारानी 2 के उत्तरी सींव के सहारे–सहारे 18 फीट चौड़ा रास्ता चाहा है जो जवाब के साथ संलग्न नजरी नक्शें में दर्शाया गया है। संलग्न नजरी नक्शे में प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता ही लघुत्तम व निकटतम बताया है व मौके पर उक्त रास्ते की चौड़ाई 13 फीट है तथा उक्त रास्ते पर बरड़ा व मुरड़ डाली गयी है। संलग्न रिपोर्ट व नक्शा अनुसार ग्राम शिवनगर के ख0न0 568 (सिवायचक) के अन्तिम पूर्वी छोर से पश्चिम की तरफ उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे व ख0न0 569 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे ख0न0 570 की पूर्वी भूजा के उत्तरी पूर्वी कोने तक 18 फीट चौड़ा रास्ता दिया जाता है, तो ख0न0 569 में से 0.0408 है0 (126 मीटर) भूमि रास्ते मे प्रयुक्त होगी व ख0न0 568 में से रास्ता दिये जाने पर रकवा 0.0695 है0 (74 मीटर)प्रयुक्त होगा। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 से 7 से रास्ता प्राप्त होने में प्रयुक्त होने वाला कुल रकबा 0.1103 है0 बनता है। मौके पर ख0न0 568 व 569 में से रास्ता चालू है जिसकी चौड़ाई 13 फीट है तथा उक्त रास्ते पर बरड़ा व मुरड़ डाली हुई है। ग्राम शिवनगर की कृषि भूमि(सिंचित) की डी0एल0सी0 दर 1,78,419/–रू प्रति हैक्टेयर व असिचित भूमि की डी0एल0सी0 दर 95,584/–रू प्रति हैक्टेयर है। अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की खातेदारी भूमि में ख0न0 569 में से रास्ता दिये जाने पर रकबा 0.0408 है0 बनता है जिसकी डी0एल0सी दर अनुसार. प्रयुक्त भूमि की राशि 3900/– रू बनती है, जिसकी दुगुनी राशि 7800/– रू बनती है। ख0न0 568 (सिवायचक भूमि) मे से रास्ता दिये जाने पर प्रयुक्त भूमि का रकबा 0.069[illegible]ती जिसकी डी0एल0सी0 दर अनुसार कीमत 6643/– रू बनती है, जिसकी [illegible] राशि 13[illegible]/– [illegible] बनती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.01.11 13:24:27 IST
Reason: SelfAttested

11/1/24
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

वकील उभयपक्ष एवं पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को कृषि कार्य व कृषि यंत्र अपने खेत तक ले जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि में से रास्ता दर्ज करवाने की कृपा करावें। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपने जवाब को ही बहस के तथ्य माने जाने हेतु निवेदन करते हुए प्रार्थी को रास्ता दिये जाने हेतु अनुशंषा प्रदान की।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। तदनुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0न0 570 में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की भूमि ख0न0 569 व अप्रार्थी संख्या 7 के नाम दर्ज सिवायचक ख0न0 568 में से रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। खसरा नम्बर 569 व 568 (सिवायचक) में से रास्ते हेतु प्रयुक्त होने वाला रकबा, खातेदार एवं रकम का विवरण निम्नानुसार है–

क्र.स.	ख0न0	नाम खातेदार	रकबा (है0)	दुगुनी राशि
1	569	गोपाल पुत्र सांवता	0.0068	1300/–
2	569	ज्ञाना देवी पत्नि सांवता	0.0068	1300/–
3	569	प्रभाती पुत्री सांवता	0.0068	1300/–
4	569	राजू पुत्र सांवता	0.0068	1300/–
5	569	लाली पुत्री सांवता	0.0068	1300/–
6	569	सुरज्ञान पुत्री सांवता	0.0068	1300/–
7	568	राज्य सरकार	0.0695	13286/–

प्रार्थी द्वारा उक्त राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट बनाकर प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 को भुगतान हो। भुगतान की कार्यवाही पश्चात् तहसीलदार रूपनगढ़ को राजस्व रिकार्ड में रास्ते का अंकन करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

04/01/24

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.01.11 13:24:27 IST
Reason: SelfAttested